न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमलराम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–66/2016 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. पप्पू पुत्र रामधन जाति कीर निवासी कीरों का बास तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. दमयन्ती देवी स्त्री छोटेलाल नेहरा जाति जाट निवासी बी–03, मालवीय नगर, अलवर राज0 ।
2. रेखा स्त्री राकेश नहेरा जाति जाट निवासी बी–03, मालवीय नगर, अलवर राज0 ।
3. कमलेश स्त्री सुरजीत नहेरा जाति जाट निवासी बी–03, मालवीय नगर, अलवर राज0 ।
4. सुलेख पत्नि श्री राजकुमार नहेरा जाति जाट निवासी बी–03, मालवीय नगर, अलवर राज0 ।

..... असल रेस्पोडेन्ट्स

5. बृजमोहन पुत्र रामधन,
6. हरिसिंह पुत्री जैसीराम जाति कीर,
7. लालाराम पुत्र भोमाराम जाति कीर,
8. सुरेश पुत्र जैसीराम जाति कीर,
9. रामखिलाड़ी पुत्र भौमाराम जाति कीर,
10. मंगतू पुत्र प्यारेलाल जाति कीर,
11. जगदीश पुत्र जैसीराम जाति कीर,
12. टेकचन्द पुत्र रामसिंह जाति कीर निवासीयान कीरों का बास तहसील रामगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री गोविन्द राम यादव अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री राकेश यादव अभिभाषक असल रेस्पो0।

::: निर्णय :::

दिनांक :–14.03.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, रामगढ़ (अलवर) के निर्णय दिनांक 26.05.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण की कब्जे काश्त की आराजी हाल ख0 नं0 1112 रकबा 0.01, 1113 रकबा 1.47, 1113/1615 रकबा 0.73, 1130 रकबा 0.95 है0 वाके ग्राम जातपुर तहसील रामगढ़ के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण बेजा रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें व किसी प्रकार का अतिक्रमण व अतिचार ना करें तथा मौके की शक्ल तब्दील ना करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया । विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर ग्राम पंचायत जातपुर में दिनांक 26.05.2016 को पेश हुई । प्रतिवादीगण राजस्व लोक अदालत में उपस्थित नहीं आया । वादीगण ने उपस्थित होकर कथन किया कि हमारी विवादित आराजी की पैमाइश करा दी जावें । बाद पैमाईश हम दोनों पक्षकारान एक दूसरे की आराजी के कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करेंगें । विद्वान तहत न्यायालय ने दि0 26.05.2016 को वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिया जिस निर्णय दि0 26.05.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि हमारे द्धारा तहत न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.05.2016 के निर्णय के खिलाफ अपील पेश की गई है जिसमें हमारी कोई तलबी नहीं हुई है । तहत न्यायालय की आदेशिका दिनांक 5.4.2016 को रजिस्टर्ड ए.डी. के आदेश हुए थे । आदेशिका दिनांक 26.5.2016 का अवलोकन कराया । इसमें वादीगण का कोई लिखित राजीनामा नहीं है । राजीनामा पर हमारे कोई हस्ताक्षर नहीं हैं । दावे में हमारे न तो कोई तामील हुई और न ही हम मौके पर गये जिसमें हमने कोई हस्ताक्षर नहीं किये । एकपक्षीय कोई राजीनामा नहीं है । इस राजीनामा से जब दावा डिक्री कराया और हमारे कब्जे में दखलंनदाजी दीं तो उसके बाद हमें जानकारी हुई । इसलिए दफा 5 मियाद प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश की है ।

उन्होंने निवेदन किया कि वाद में हमारी तामील नहीं हुई है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुए अपील प्रतिप्रेषित करने की इस्तदुआ की ।

प्रतिउत्तर में अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस में बताया कि मेरा दावा 188 आर.टी.एक्ट का था । मैं हाल ख0 नं0 1112 रकबा 0.01, 1113 रकबा 1.47, 1113/1615 रकबा 0.73, 1130 रकबा 0.95 है0 का खातेदार हूं । बहस या अपील में अपीलांट का कोई तथ्य नहीं आया कि इनका आराजी में क्या क्लेम है । अपील के पैरा नं0 4 में विवादित आराजी चारागाह थी उसे अलोट करवा लिया । अपीलांट अपना मकानाता बता रहे हैं । इस प्रकार के कोई दस्तावेज पेश नहीं है तथा अपील में भी कुछ नहीं किया है । तहत न्यायालय ने नियमानुसार पैमाईश के लिए कहा है । इनको नियमानुसार पैमाईश करवाने में क्या आपत्ति है । मैंने कोई बेदखली का वाद पेश नहीं किया । बाद पैमाईश एकदूसरे की दखलंनदाजी में नहीं आये । डिक्री अनुसार उभयपक्ष को पाबन्द किया गया है । अपीलांट ये बताये की इस

जमीन से इनका क्या संबंध है । मैंने तो यह आराजी रजिस्टर्ड बयनामा से क्रय की है तथा कब्जा लिया है । ग्राम पंचायत ने जांच उपरान्त बयनामा तस्दीक किया है ।

अपीलांट ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है जिसमें मियाद के बिन्दु पर कोई संतोषजनक कारण दर्शित नहीं किये हैं । इसलिए मियाद के बिन्दु पर भी अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

अतः तहत न्यायालय की निर्णय व डिक्री सही है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होकर अपील अपीलांट खारिज योग्य है ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से पाया गया है कि दावा तलबी प्रतिवादी में विचाराधीन था और प्रकरण को कोर्ट कैम्प में लगा दिया तथा केवल वादी का ही इस आशय का राजीनामा लिया गया कि इनके रकबे की पैमाईश करवा दी जावें तथा उसी के आधार पर दखलंनदाजी नहीं करेगें ।

प्रकरण में बिना प्रतिवादी को सुने तथा बिना उनकी सहमति के राजीनामा की डिक्री विधि अनुकूल नहीं है । तहत न्यायालय को उभयपक्षों को सुनकर तथा जवाब एवं साक्ष्य लेकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.05.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है तथा प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, रामगढ़ (अलवर) के निर्णय दिनांक 26.05.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, रामगढ़ (अलवर) को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की विधिवत् तामील करवाते हुए दोनों पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एवं तनकीयात कायम करते हुए पुनः गुणावगुण व निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/3/18

(कमलराम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर